



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236926  
CG-DL-E-01072022-236926

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]  
No. 466]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/ आषाढ 9, 1944  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 02/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा.का.नि. 490(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017, का संशोधन करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाती है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात मोटर स्पिड, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू नहीं होगी।”

3. उक्त नियम में, नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात मोटर स्पिड, जिसे सामान्यतया पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू नहीं होगी।”

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2022

**No. 02/2022-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 490(E).**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Excise Rules, 2017, namely: -

## 1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Central Excise (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2022.

## 2. In the Central Excise Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 18, before the explanation the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this rule shall apply to *Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel.*”

## 3. In the said Rules, in rule 19, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that nothing contained in this rule shall apply to *Motor spirit, commonly known as petrol, High-speed diesel oil and Aviation Turbine Fuel.*”

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

**सं. 03/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 491(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 06 जुलाई, 2019, जिसे सं सा.का.नि. 488 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी।”

## 2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 06 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 488 (अ), तारीख 06 जुलाई, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 84 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।